

कोरोना वायरस | कोविड - १९

२६/०५ का कानून क्रमांक धरा ५७९३- ए /२०२०

यह कानून यहाँ रहने की अनुमति (रेजिडेंट परमिट/कार्ड) के लिए आवेदन और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना निर्धारित करता है, कुछ असाधारण और अस्थायी उपायों को लागू किया जायेगा जिससे विदेशियों और सिमा सेवा विभाग (SEF) में जो कारवाही अपूर्ण पड़ी हुई है, जिनका जल्द से जल्द निष्कर्ष निकालने के लिए एक वर्ष तक लागू रहेगा.

● अगर आप अपनी निवास की अनुमति का नवीनीकरण करवाने जा रहे है तो : विदेशियों और सिमा सेवा विभाग (SEF) में यहाँ रहने की अनुमति (रेजिडेंट परमिट/कार्ड) के लिए नवीनीकरण की जो अर्ज़िया विलम्बित हुई पड़ी है, उसके लिए अब आपको खुद दफ्तर जा के उनको पूरा करवाने की जरूरत नहीं है. आप बहोत जल्द, अपनी अर्जी की वेबसाइट Portal do SEF पे कर सकेंगे, निवास की अनुमति का कार्ड, उस की फीस जमा करवाने के बाद आपके कर विभाग (फाइनेंस) के पते पे भेज दिया जायेगा, नाबालिग बच्चो के मामले को छोड़कर, जिन्हे इसकी फीस के भुगतान की छूट दी गयी है.

● यदि आप वीसा समाप्त होने के बाद यहाँ निवास या की अनुमति की मांग कर रहे है, जो धरा क्रमांक 88 (2) में कहा गया है उसके अनुसार, (पेशेवर काम करने के लिए निवास की अनुमति) या फिर धरा क्रमांक ८९ (२) के अनुसार (विदेशी जो अपना स्वतंत्र उद्योग या व्यवसाय करने के लिए या फिर अपनी कोई व्यक्तिगत काम करना चाहते है उनके लिए निवास की अनुमति) ०४/०७ के कानून क्रमांक २३/२००७ के अनुसार विदेशियों और सिमा सेवा विभाग (SEF) उन दस्तावेज़ों को मान्य करेगा जिन्हे आपने उनकी वेबसाइट (Portal do SEF) पे अर्ज़ी किये जाने के वक़्त जमा करवाए थे, बशर्ते कि वे दस्तावेज़ जब जमा करवाए तब उस समय वैध थे.

● यदि आपकी एक और यहाँ रहने की अनुमति (रेजिडेंट परमिट/कार्ड) के लिए नवीनीकरण की जो अर्ज़ी विदेशियों और सिमा सेवा विभाग (SEF) में विलम्बित हुई पड़ी है, पूंजी निवेश की कोई भी योजना के इलावा, तो उसकी हल होने की प्रक्रिया भी अब सरल होगी, निवास के उद्देश्य को साबित करने वाले दस्तावेज़ के साथ आपका प्रोसेस (प्रक्रिया /कार्यवाही) में निर्देशित किया गया हो.

● यदि आप विदेशी नागरिक है या आप ने यहाँ शरण लेने की मांग की है और आपकी पुर्तगाल में रहने की कागज़ी कारवाही १८ मार्च, २०२० तक अपूर्ण रही है, तब आपकी प्रक्रिया /कार्यवाही विदेशी और सिमा सेवा (SEF)विभाग में विश्लेषण के दौर में रहेगी, जब आपने आवेदन दाखिल करवाया उसका साबुत प्रस्तुत करने पर आपको आदेश क्रमांक ३८६३-बी/२०२० के अनुसार सारे हक़ दिए जायेंगे: जैसे केस स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सामाजिक सहायता लाभ, आवास और अन्य सरकारी सहायता

अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, निचे दिए गए फ़ोन क्रमांक, या ईमेल द्वारा संपर्क करें :

- **आसेएम, इ.पे (ACM, I.P)** - www.acm.gov.pt | informacoes@acm.gov.pt
- **एल आ एम् (LAM) (विदेशियों / प्रवासी की मदद के लिए फ़ोन सेवा)** - काम के दिन यानि सोमवार से शुक्रवार सुबह ९ बजे से शाम के ७ बजे तक फ़ोन क्रमांक ८०८ २५७ २५७ (घर के फ़ोन से /लैंडलाइन) या २१८१० ६१ ९१ (मोबाइल से) संपर्क करें
- **लिस्बन का कनाईम (CNAIM)सेण्टर** -- cnaim.lisboa@acm.gov.pt
- **उत्तर क्षेत्र (पोरतु) का कनाईम (CNAIM) सेण्टर** -- cnaim.norte@acm.gov.pt
- **अल्गार्व (फारु) का कनाईम (CNAIM) सेण्टर** - cnaim.algarve@acm.gov.pt



REPÚBLICA
PORTUGUESA
SECRETARIA DE ESTADO
PARA A INTEGRAÇÃO E AS MIGRAÇÕES



ACM

ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P.